न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2020 (रसद)
पंजीयन दिनांक 14.08.2020
G.C.M.S. NO. :_ 2020/00305

श्री तुलसीराम डांगी पिता भैरूलाल डांगी उम्र 52 साल उचित मूल्य दुकानदार आछोडा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....विपक्षी

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 22/2020 दिनांक 22.07.2020 अन्तर्गत राजस्थान फुड ग्रेन्स एण्ड अदर एजेन्सीज आर्टीकल (रेगुलेशन) ऑर्डर 1972 के नियम 22

उपस्थितिः- 1-श्री भगवती लाल मेनारिया, अधिवक्ता अपीलान्ट
2-प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 06.04.2021

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र कमांक 3/2005 निरस्त करने एवं समस्त प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश पारित किया जो एक तरफा मनमाना एवं किसी प्रकार से तथ्यों पर आधारित नहीं है। अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश पारित करने से पूर्व न तो अपीलार्थी को सुना गया न इस हेतु न्यायोचित समय एवं अवसर प्रदान किया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने शिकायतकर्ता श्री सुरेश कुमार प्रजापत द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज की गई झूठी शिकायत के आधार पर राजनैतिक दबाव में बेहद जल्दबाजी में प्राधिकार पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्र. सं. 22/2020 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2020 अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 3/2005 बहाल फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 19/2020 (रसद)
श्री तुलसीराम डांगी उ. मू. दुकानदार आछेड़ा बनाम राजस्थान सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जिला रसद अधिकारी की ओर से पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी के उपस्थित होने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने शिकायतकर्ता श्री सुरेश कुमार प्रजापत की सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज झूठी शिकायत के आधार पर अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र संख्या 3/2005 निरस्त करने का आदेश पारित किया है। उक्त झूठी शिकायत की सही जांच नहीं करा झूठे आरोपों के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है। उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व न तो अपीलार्थी को सुना गया और न ही इस हेतु न्यायोचित समय प्रदान किया गया। कथित कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.05.2020 को जारी करना बताया है जिसकी विधिवत् तामील अपीलार्थी पर नहीं करवाई गई और न नोटिस के प्रत्युत्तर में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया। निर्णय दिनांक 22.07.2020 में जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तीन अनियमितताऐं बताई गई कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का माह अप्रेल, 2020 का अतिरिक्त गेहूं व अप्रेल, 2020 का नियमित गेहूं अभी तक नहीं दिया गया, उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को बिना ओटीपी बताये 15 किलो गेहूं ट्रांजेक्शन कर लिया व उपभोक्ता को गेहूं नहीं दिया तथा जब उपभोक्ता गेहूं लेने गये तो उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूं नहीं होने का हवाला दिया जबकि गेहूं उपलब्ध था। उक्त तीन बिन्दुओं के आधार पर लाईसेन्स निलम्बित किया गया जबकि अपीलार्थी ने कोई अपराध ही नहीं किया। अपीलार्थी द्वारा गरीब कल्याण योजना का माह अप्रेल, 2020 का तथा नियमित व अतिरिक्त गेहूं वितरण किया गया है। जांच कमेटी द्वारा जिला रसद अधिकारी के समक्ष झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जबकि निरीक्षण प्रतिवेदन में निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य विकेता द्वारा अप्रेल, 2020 का अतिरिक्त गेहूं 100 प्रतिशत वितरण करना स्वयं निरीक्षणकर्ता द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में बताया है। कुछ राजनैतिक द्वेषता रखने वाले तथा अपात्र लोगों ने जिनको राशन नहीं मिलने के कारण नाराज होकर झूठी शिकायत प्रस्तुत की है जबकि अपीलार्थी के समर्थन में गांव के ही कुछ व्यक्तियों एवं मौतबिरान, वार्डपंच आदि ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी के अच्छे व्यवहार एवं उससे कोई शिकायत नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं। दिनांक 09.07.2020 को ग्रामवासियान सेमलपुरा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत पर भी जिला रसद अधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं कराकर एक तरफा निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में हवाला दिया कि सतर्कता समिति के अध्यक्ष व सदस्य भी अपीलार्थी के कार्य एवं व्यवहार से असंतुष्ट है जबकि अपीलार्थी से सतर्कता समिति का कोई भी सदस्य असंतुष्ट नहीं है इस संबंध में स्वयं सरपंच ग्राम पंचायत

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सेमलपुरा द्वारा अपने लेटरपेड पर लिखकर दिया जो अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली में उपलब्ध है। सतर्कता समिति के सदस्य व पदाधिकारी तथा सरकारी स्कूल आछोडा के प्रधानाध्यापक द्वारा भी अपीलार्थी के काम की सराहना कर कोविड-19 के निर्देशानुसार गेहूं वितरण बाबत् प्रमाण-पत्र जारी किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक की दिनांक 07.06.2020 को प्राप्त रिपोर्ट में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना एवं उपभोक्ताओं को गेहूं नहीं दिया जाकर पैसे देने का तथ्य अंकित किया है जो सरासर गलत है। सत्यता यह है कि अपीलार्थी द्वारा किसी भी व्यक्ति को गेहूं के बदले पैसे का नकद भुगतान नहीं किया गया है उनको नियमानुसार गेहूं वितरित किया गया तथा कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। गांव के ही कई व्यक्तियों जिनमें रतनी देवी पत्नि मांगू, रामी देवी पत्नि जग्गा रेगर, भैरूलाल पुत्र मोडीराम, वार्ड पंच कैलाश और दिव्या भील ने भी अपीलार्थी के समर्थन में एवं उसके अच्छे व्यवहार के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं। कुछ व्यक्तियों ने अपीलार्थी से राजनैतिक द्वेषता के चलते गांव के लोगों से यह कहकर की राशन समय पर वितरण नहीं किया जा रहा है इस बात को आपको राशन विभाग में चलकर कहना है इस बात के हस्ताक्षर करवाये जिसके संबंध में श्री भगवानलाल धाकड़ निवासी सुरजना ने अपने बयान में जांच निरीक्षक के समक्ष कहे किन्तु फिर भी जांच कमेटी द्वारा उन सभी व्यक्तियों के बयानों को नजरअन्दाज कर अपीलार्थी के विरूद्ध गलत कार्यवाही कर गलत निर्णय पारित कराया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा कोविड-19 के दौरान भी अपना कर्तव्य पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन किया है कुछ उपभोक्ताओं के ओटीपी नहीं आने पर भी तथा महिला होने पर कई बार घर जाकर भी राशन वितरण किया है और रजिस्टर में दर्ज किया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा झूठी शिकायत को सही मानते हुए तथा अपीलार्थी के समर्थन में प्रस्तुत सभी गवाहान के बयान एवं शपथ-पत्रों को नजरअन्दाज करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश पारित किया है जो विधि-विपरीत होने से निरस्त योग्य है। कुछ व्यक्ति जिन्होने झूठे बयान दर्ज करवाये हैं उनमें गुलाब सिंह जिसके व अपीलार्थी के मध्य उपखण्ड अधिकारी के यहां रास्ते का वाद विचाराधीन होने से अपीलार्थी से नाराज होकर झूठे बयान दर्ज करवाये हैं इसी प्रकार खुमानसिंह राणावत, देवीलाल कुम्हार ने भी झूठी शिकायत पर हस्ताक्षर किये जबकि उक्त व्यक्ति खाद्य सुरक्षा के पात्र ही नहीं है। मदनलाल डांगी द्वारा भी गलत बयान अंकित कराये है उदयराम गुर्जर जो वर्ष 2017 के बाद कभी राशन भी लेने नहीं आया उसने भी आपसी द्वेषता में झूठे बयान दर्ज करवाये हैं। क्षेत्र के सभी उपभोक्ता मेरे कार्य एवं व्यवहार से संतुष्ट है जिसका बड़ा प्रमाण मेरे 15 वर्षो से लगातार उचित मूल्य दुकानदार बने रहना है। इस संबंध में कथित जांच रिपोर्ट एक तरफा एवं मनमानी है उक्त जांच न तो अपीलार्थी की उपस्थिति में की गई और जिन गवाहान के बयान लिये वे भी अपीलार्थी की अनुपस्थिति में लिये गये। अपीलार्थी ने प्राधिकार पत्र की किसी

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया तथा न ही ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से प्रमाणित है। अतः अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने प्राधिकार पत्र निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जब्त करने का पारित आदेश पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए एक तरफा निर्णय दिया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 22.07.2020 निरस्त फरमाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 3/2005 बहाल फरमाया जावे।

प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर जांच की गई जिसमें उपभोक्ताओं के, उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं के प्रति उचित व्यवहार नहीं करना, माह अप्रेल, 2020 का नियमित गेहूं एवं अतिरिक्त गेहूं का वितरण नहीं किया जाना और गेहूं के बदले नकद राशि का भुगतान करना तथा कुछ उपभोक्ताओं को बिना ओटीपी बताये गेहूं का ट्रांजेक्शन करना गवाहानों के बयान के आधार पर प्रमाणित पाया गया है जो कि राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों के उल्लंघन में आता है। अतः प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण एवं प्रतिभूति राशि जब्ती हेतु पारित आदेश दिनांक 22.07.2020 विधि-सम्मत् होने से अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का माह अप्रेल, 2020 का अतिरिक्त गेहूं तथा माह अप्रेल, 2020 का नियमित गेहूं अभी तक नहीं दिया जाना, राशन डीलर द्वारा उपभोक्ता को बिना ओटीपी बताये 15 कि.ग्रा. गेहूं ट्रांजेक्शन कर उपभोक्ता को गेहूं नहीं देना, जब उपभोक्ता गेहूं लेने गये तो अपीलार्थी द्वारा गेहूं नहीं होने का हवाला देते हुए गेहूं नहीं देना तथा गेहूं के बदले नकद राशि का भुगतान करना व दुकानदार का उपभोक्ताओं के प्रति उचित व्यवहार नहीं करने के आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त करने व प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश दिनांक 22.07.2020 पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य दुकानदार आछेड़ा के दिनांक 23.04.20 को किए निरीक्षण में निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य विकेता द्वारा अप्रेल अतिरिक्त गेहूं का 100 प्रतिशत वितरण किये जाने तथा दुकानदार द्वारा पोस पर्ची दिये जाने का अंकन किया है।

अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध सरपंच, ग्राम पंचायत सेमलपुरा के पत्र दिनांक 15.05.2020 अनुसार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कोरोना वायरस महामारी के चलते डीलर को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए एक ट्रेक्टर, दो मजदूरों के साथ पंचायत की निगरानी समिति द्वारा घर-घर राशन

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपलब्ध कराया जाना बताया है तथा जितना राशन डीलर के पास स्टॉक में था उतना राशन उपलब्ध करवाया जाना बताया है साथ ही कुछ उपभोक्ताओं के राशन से वंचित रह जाने पर पता कराने पर पॉस मशीन संख्या 9430 में स्टॉक नहीं होने से वितरण नहीं होना, तथा सम्पर्क पोर्टल पर जिसके द्वारा शिकायत की गई उसे वार्ड पंच की उपस्थिति में 15 कि.ग्रा. गेहूं दिया जाने संबंधी प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दिनांक 13.05.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है किन्तु उक्त कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को तामील होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 की धारा 8 (2) में अनुज्ञापत्र/प्राधिकार पत्र धारी को उसका अनुज्ञापत्र/ प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान है जबकि हस्तगत प्रकरण में प्राधिकार पत्र धारी/अपीलार्थी को अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने संबंधी पारित निर्णय दिनांक 22.07.2020 से पूर्व अपीलाब्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है निष्कर्षतः अपील अपीलाब्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 22.07.2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलाब्ट/ अनुज्ञाधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समुचित जांच के पश्चात् 1 माह के अब्दर विधि-सम्मत् आदेश पारित करे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(के. के. शर्मा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official